


11-12-19

वकील वादी एवं पैरोकाराज उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम अम्बी पत्नी मोहनराम अंकित है जबकि वाके रोही पांचू उत्तरी के खसरा नम्बर 6656/2969 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम अमी पत्नी मोहनराम नाम अंकित है जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

P70

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते हैं कि रोही पांचू उत्तरी के खसरा नम्बर 6656/2969 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम अमी पत्नी मोहनराम के स्थान पर अम्बी पत्नी मोहनराम करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।


(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी

नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

